कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0–भवन, लो0नि0वि0, आगरा

पत्रांक : 656 / 15एम0जी0 / 2023–24 दिनांक :– 19.05.2023

Principal S N Medical College AGRA
No. 7973
Date 20/05/23

सेवा में,

सूचना निदेशक
सूचना निदेशालय, पार्क रोड के पास,
उ0प्र0 लखनऊ

विषयः– नीलामी सूचना प्रकाशन के सम्बन्ध में।

संलग्न निविदा सूचना इस आशय से भेजी जा रही है कि आप इस सूचना का प्रकाशन इस क्षेत्र में प्रचलित राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 02.06.2023 से पूर्व दो बार प्रकाशित कराने का कष्ट करें एवं प्रकाशन की सूचना समाचार पत्र की प्रतियों सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न– नीलामी सूचना 6 प्रतियों में।
सी0डी0–1 नग

सदस्य मेडीकल कॉलेज ध्वस्तीकरण समिति/
अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0–भवन, लो0नि0वि0,
आगरा

प्रतिलिपि :–

1. सूचना अधिकारी, कक्ष सं0 310, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा।
3. जिलाधिकारी, आगरा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त, लो0नि0वि0, आगरा।
5. एन0आई0सी0, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संलग्न नीलामी सूचना को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. प्रधानाचार्य सरोजनी नायडू, मेडीकल कॉलेज आगरा को।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा।
8. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, आगरा।
9. समस्त सहायक अभियन्ता, नि0ख0–भवन, लो0नि0वि0, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।
10. नोटिस बोर्ड।

सदस्य मेडीकल कॉलेज ध्वस्तीकरण समिति/
अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0–भवन, लो0नि0वि0,
आगरा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0–भवन, लो0नि0वि0, आगरा

नीलामी सूचना

पत्रांक : 656 / 15एम0जी0 / 2023–24 दिनांक :– 19.05.2023

1. महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–भवन, लो.नि.वि., आगरा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार ठेकेदार से समान प्रवृति के कार्य के लिये खुली नीलामी हेतु प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जाता है। प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पूर्व न्यूनतम अर्हता हेतु ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें।

क्र सं	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित मूल्य (लाख रू0 में)	जमानत धनराशि (लाख रू0 में)	नीलामी शुल्क (रू0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्य सम्पादित कराने वाले अधिकारी का पता	सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	एन0एन0 मेडीकल कालेज, आगरा में विलयोपरान्त प्रथम चरण के अन्तर्गत आने वाले 43 निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण।	62.00 + अन्य कर एवं जी0एस0टी0 अतिरिक्त (नियमानुसार)	15.50	रू0 2354.00 जी0एस0टी0 सहित (डिमाण्ड ड्राफ्ट)	03 माह	प्रधानाचार्य सरोजनी नायडू मेडीकल कॉलेज आगरा	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0–भवन, लो0नि0वि0, आगरा।
2	आगरा	एन0एन0 मेडीकल कालेज, आगरा कैम्पस के प्रथम चरण के 27 निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण।	88.00 + अन्य कर एवं जी0एस0टी0 अतिरिक्त (नियमानुसार)	22.00	रू0 2354.00 जी0एस0टी0 सहित (डिमाण्ड ड्राफ्ट)	04 माह	प्रधानाचार्य सरोजनी नायडू मेडीकल कॉलेज आगरा	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0–भवन, लो0नि0वि0, आगरा।
3	आगरा	एन0एन0 मेडीकल कालेज, आगरा परिसर में स्थित भवन ओल्ड प्रमुख अधीक्षक आवास, एनेक्सी भवन–ए, वार्डन आवास एवं धोबी घाट में स्थित विभिन्न निष्प्रयोज्य भवनों का ध्वस्तीकरण।	8.00 + अन्य कर एवं जी0एस0टी0 अतिरिक्त (नियमानुसार)	2.00	रू0 766.00 जी0एस0टी0 सहित (डिमाण्ड ड्राफ्ट)	03 माह	प्रधानाचार्य सरोजनी नायडू मेडीकल कॉलेज आगरा	अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0–भवन, लो0नि0वि0, आगरा।

2. इच्छुक व्यक्तियों द्वारा नीलामी की शर्तें एवं अन्य विवरण कॉलम संख्या–9 में अंकित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सॉय 5:00 बजे तक देख सकते हैं एवं वेबसाइट http://agra.nic.in एवं http://www.snmeagra.ac.in पर नीलामी से सम्बन्धित समस्त विवरण एवं विस्तृत शर्तें ऑनलाइन भी देखी जा सकती हैं।
3. नीलामी प्रक्रिया एस0एन0 मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस आगरा में दिनांक 02.06.2023 को उपरान्ह 1:00 बजे को जिलाधिकारी आगरा द्वारा गठित समिति के समक्ष आयोजित की जायेगी।
4. इच्छुक प्रतिभागियों को नीलामी प्रक्रिया से पूर्व दिनांक 01.06.2023 को सॉय 05:00 बजे तक समस्त प्रमाण–पत्र एवं कॉलम संख्या–5 पर अंकित धनराशि राष्ट्रीयकृत / शिड्यूल बैंक द्वारा निर्गत जमानत धनराशि कालम सं0–5 के अनुसार एफ0डी0 प्रधानाचार्य सरोजनी नायडू मेडीकल कॉलेज आगरा के नाम बन्धक हो तथा नीलामी शुल्क कालम सं0–6 के अनुसार (समस्त कर सहित) अप्रत्यार्पणीय शुल्क (नॉन रिफन्डेबल फीस) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रधानाचार्य सरोजनी नायडू मेडीकल कॉलेज आगरा के पक्ष में देय होगी, को कार्यालय प्रधानाचार्य सरोजनी नायडू मेडीकल कॉलेज, आगरा में जमा करना अनिवार्य होगा, तभी प्रतिभागियों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

सदस्य मेडीकल कॉलेज ध्वस्तीकरण समिति /
अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0–भवन, लो0नि0वि0,
आगरा

नीलामी की शर्ते

1. कार्य पूर्ण करने की अवधि में वर्षा ऋतु भी सम्मिलित है।
2. नीलामी की वैधता इसके प्राप्ति के दिन से 90 दिन के लिये होगी। वैधता की अवधि में नीलामी प्रपत्र को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
3. इच्छुक व्यक्तियों द्वारा नीलामी की शर्ते एवं अन्य विवरण कॉलम संख्या–9 में अंकित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सॉय 5:00 बजे तक देख सकते हैं एवं वेबसाइट http://agra.nic.in एवं http://www.snmeagra.ac.in पर नीलामी से सम्बन्धित समस्त विवरण एवं विस्तृत शर्तें ऑनलाइन भी देखी जा सकती हैं।
4. नीलामी प्रक्रिया एस0एन0 मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस आगरा में दिनांक 02.06.2023 को उपरान्ह 1:00 बजे को जिलाधिकारी आगरा द्वारा गठित समिति के समक्ष आयोजित की जायेगी।
5. इच्छुक प्रतिभागियों को नीलामी प्रक्रिया से पूर्व दिनांक 01.06.2023 को सॉय 05:00 बजे तक समस्त प्रमाण–पत्र एवं कॉलम संख्या–5 पर अंकित धनराशि राष्ट्रीयकृत/शिड्यूल बैंक द्वारा निर्गत जमानत धनराशि **कालम सं0–5 के अनुसार** एफ0डी0 प्रधानाचार्य सरोजनी नायडू मेडीकल कॉलेज आगरा के नाम बन्धक हो तथा नीलामी शुल्क **कालम सं0–6 के अनुसार** (समस्त कर सहित) अप्रत्यार्पणीय शुल्क (नॉन रिफन्डेबल फीस) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रधानाचार्य सरोजनी नायडू मेडीकल कॉलेज आगरा के पक्ष में देय होगी, को कार्यालय प्रधानाचार्य सरोजनी नायडू मेडीकल कॉलेज, आगरा में जमा करना अनिवार्य होगा, तभी प्रतिभागियों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
6. (क) इच्छुक प्रतिभागी को अपने निवास एवं पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, बोटर आई0डी0 कार्ड एवं जिलाधिकारी से निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
   (ख) इच्छुक प्रतिभागियों को समस्त अभिलेखों एवं सूचना की सत्यता की प्रमाणिकता हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. इच्छुक प्रतिभागियों द्वारा नीलामी सूचना में अंकित कॉलम संख्या–04 से अधिक लगाया जाना अपरिहार्य है। कॉलम संख्या–04 पर अंकित धनराशि से कम बोली स्वीकार नहीं होगी।
8. नीलामी प्रक्रिया में कॉलम संख्या–04 पर अंकित धनराशि से अधिक बोली लगाने वाले प्रतिभागियों में से अधिकतम बोली वाले प्रतिभागी के पक्ष में ही उपरोक्त कार्य सम्पादित करने हेतु स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।
9. अधिकतम बोलीदाता को कार्य स्थल से स्टील, ईटें, लकड़ी एवं मलवा इत्यादि वस्तुओं को ही ले जाने की अनुमति होगी। यदि इसके अतिरिक्त कोई अंन्य कीमती सामग्री प्राप्त होती है तो उस पर एस0एन0 मेडीकल कॉलेज, आगरा का स्वामित्व होगा, तत्क्रम में बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित सामग्री को नियमानुसार हस्तानान्तरित करना होगा।
10. नीलामी प्रक्रिया में सफल अधिकतम बोलीदाता को स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 07 दिवस के अन्दर बोली की सम्पूर्ण धनराशि समस्त करों जी0एस0टी0 इत्यादि सहित राष्ट्रीयकृत/शिड्यूल बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी, जोकि प्रधानाचार्य सरोजनी नायडू मेडीकल कॉलेज आगरा के पक्ष में होगा। समस्त धनराशि जमा कराने के पश्चात ही नीलामी सामग्री कार्यालय से ले जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। जमानत धनराशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही वापस की जायेगी।
11. इच्छुक प्रतिभागियों जिनका आपराधिक रिकार्ड है वह नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग नही कर सकेंगे।
12. इच्छुक प्रतिभागी जो राज्य विधि काउंसिंल में पंजीकृत हो, प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित हों।
13. प्रतिभागियों को परामर्श दिया जाता है कि नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पूर्व वास्तविक कार्यस्थल की जॉच कर लें।
14. प्रतिभागियों को लागू समस्त कर जी0एस0टी0 इत्यादि स्वयं वहन करना होगा।
15. उपरोक्त कार्य के सम्पादन में समस्त सुरक्षा के उपाय जैसे फायर सेफ्टी प्राविधान इत्यादि एवं लेबर रजिस्ट्रेशन व बीमा व्यवस्था आदि किया जाना भी अनिवार्य है।
16. ताज ट्रिपेजियम जोन में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु समस्त प्राविधान किये जाना अनिवार्य है।
17. कार्य स्थल से मलवा हटाने हेतु समस्त सुरक्षा व्यवस्थाओं का समुचित प्रबन्ध किया जाये तथा न्यूनतम 8 किमी0 परिधि से बाहर स्थानीय प्रशासन द्वारा चयनित स्थान पर ही मलवा आदि डाला जाये।
18. कार्य स्थल के निकटवर्ती स्थित भवनों को कोई हानि नहीं पहुँचनी चाहिए अन्यथा की स्थिति में यदि कोई भवन क्षतिग्रस्त होता है या किसी जान–माल की हानि होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।
19. कार्य स्थल पर डिसमेन्टलिंग प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त जल छिडकाव का प्रबन्ध किया जाये तथा मलवे के डिस्पोजल साइट पर ट्रांसपोर्टेशन में मलवे को ढकने हेतु पर्याप्त ग्रीन कवरिंग का प्रयोग किया जाये।
20. यदि परिसर में वाटर सप्लाई, सैनेटरी लाइन, सीवर लाइन, इलेक्ट्रीकल लाइन एवं टेलीफोन लाइन्स इत्यादि को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदांता की होगी एवं कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
21. नीलामी की स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में समिति का निर्णय ही अन्तिम होगा। नीलामी किसी भी समय बिना किसी कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

सदस्य मेडीकल कॉलेज ध्वस्तीकरण समिति/
अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0–भवन, लो0नि0वि0,
आगरा